निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 598) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 **120,** दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 04 दिनांक 2 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 10 दिनांक 2 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक **प्ररूप जीएसटीआर-**4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

(i) जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल राशि शून्य है;

(ii) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (i) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है|

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1194)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 t ykb 2021

एस० ओ० 120, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–12)1194)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 9th July 2021

S.O. 120, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 04 dated the 2nd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 10 dated the 2nd January, 2018, namely: —

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for financial year 2021-22 onwards, by the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, shall stand waived -

(i) which is in excess of two hundred and fifty rupees where the total amount of state tax payable in the said return is nil;

(ii) which is in excess of one thousand rupees for the registered persons other than those covered under clause (i).".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1194)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 598-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in